D2-sub.

(1)

शेरशाह का शासन प्रबन्ध

शेरशाह एक कुशल शासन-प्रबंधक था। उसके शासन प्रबंध के बहुत कुछ अकबर ने भी अपनाया। वह कहा करता था," राजा का कर्तव्य है कि वह लोगों के जीवन और उनकी सम्पत्ति की रक्षा करे। न्याय और समानता के सभी नियम सभी व्यक्तियों पर एक समान लागू करें। वह अपने अधिकारियों को कठोर अनुशासन में रखे, ताकि वे प्रजा के साथ अनुचित व्यवहार न कर सकें।

डॉ० आर० पी० त्रिपाठी तथा डॉ० पी० सरन शेरशाह को मौलिक व्यवस्थापक न मानकर व्यवस्था सुधारक मानते हैं। वह एक योग्य शासन-प्रबंधक था। प्रो० कुक तथा प्रो० कानूनगो का मानना है कि उसने प्रशासन को मौलिक स्वरूप देने का प्रयत्न किया था। अब्बास खाँ के अनुसार, उसने देश की समृद्धि तथा प्रजा की भलाई के लिए कुछ नियम बनाये, जिसका आधार उसके निजी विचार तथा विद्वानों के ग्रंथों से लिये गये सिद्धांत होते थे। वस्तुतः शेरशाह ने अपनी प्रबंध-कुशलता का परिचय अपने पिता की जागीरों के प्रबंध में दे दिया था।

केन्द्रीय शासन :- शेरशाह ने सुदृढ़ केन्द्रीय शासन की स्थापना की। केन्द्रीय सरकार कई भागों में विभक्त थी।

सम्राट — शेरशाह निरंकुश शासक था। शासन की समस्त शक्तियां उसके हाथों में निहित थीं।

केन्द्रीय विभाग एवं मंत्री — शेरशाह ने शासन कार्य में मदद हेतु कुछ मंत्रियों की नियुक्ति की।

(i) दीवान ए-वजारत — इस विभाग का प्रधान वजीर होता था, जो राज्य की आय-व्यय का हिसाब रखता था।

P.T.O.

Scanned with CamScanner

(2) दीवान-ए-अर्ज - इस विभाग का प्रधान आरिज ए-मुमालिक था, जो सैन्य मंत्री होता था।

(3) दीवान-ए-रसालत - यह विभाग विदेशी मामलों की देखभाल करता था।

(4) दीवान-ए-इंशा - इस विभाग के मंत्री का कार्य शाही घोषनाओं को लिखवाना एवं भेजना था।

प्रान्तीय शासन → शेरशाह का साम्राज्य कई भागों में विभक्त था। डॉ० पी० सरन के अनुसार - " शेरशाह के राज्य की सबसे बड़ी शासकीय इकाई प्रान्त थी और उसका सम्पूर्ण राज्य ऐसे बारह भागों में विभक्त था। अबुल फजल के अनुसार शेरशाह का साम्राज्य "सरकारों" में विभक्त था। सरकार के दो प्रमुख अधिकारी होते थे - मुख्य शिकदार तथा मुख्य मुंसिफ।

परगनों का शासन - सरकार अनेक परगनों में विभक्त थी। परगना राज्य की सबसे छोटी इकाई थी। परगने के दो प्रमुख अधिकारी होते थे - शिकदार एवं मुंसिफ। शिकदार का कार्य अपराधियों को दण्डित करना तथा शाही आदेशों को लागू करना था। मुंसिफ का कार्य अपने ~~अधीन~~ अधीनस्थ कर्मचारियों पर निगरानी रखना तथा परगने की आय को स्थानीय कोष मे जमा करवाना था। इसके अलावा प्रत्येक परगने में एक खजांची व दो कारकुन भी होते थे।

ग्राम का शासन - गाँव का शासन योग्य एवं कुशल व्यक्तियों की पंचायत द्वारा चलाया जाता था। पटवारी, मुकद्दम तथा चौकिदार के माध्यम से सरकार ग्रामीण प्रशासन से सम्पर्क रखती थी।